

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर।
पत्रांक- 2373/14-1 (EP/UP/ROAD/146591/2021) मुजफ्फरनगर, दिनांक,
सेवा में,

07.01.2023 ।

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सहारनपुर वृत्त सहारनपुर।

विषय- जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर-जानसठ-मीरापुर मार्ग (एस0एच0-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 चैनेज 5.000 तक दोनों पटरी चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ ट्रान्सप्लांट की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक-8वी0/यू0पी0/06/21/2022 /एफ0सी0-523 दिनांक-21.09.2022 ।

महोदय,

जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर-जानसठ-मीरापुर मार्ग (एस0एच0-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 चैनेज 5.000 तक दोनों पटरी चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लांट की अनुमति के प्रस्ताव में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक-21.09.2022 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी, जिसके क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण/लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-1 मुजफ्फरनगर द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्याएँ/ वचनबद्धताएँ निम्नानुसार इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है -

क्र0सं0	शर्त	अनुपालन आख्या
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	Public Work Department, Construction Division-1, Muzaffarnagar Agreed that the Legal status of forest land shall remain unchanged. (Annexr -1)
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 4 ha. Degraded forest land in Budhavan forest Block. Compartment No. 1A, Mohand Range, Shiwalik Forest Division Saharanpur at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided	Public Work Department, Construction Division-1, Muzaffarnagar deposited the cost of compensatory afforestation in CAMPA FUND and forest Department Muzaffarnagar certifies that As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided. (Annexr -2,2A)
3	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost to survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	As demand by Concern DFO vide his letter No .1096/14-1 dated 29.09.2022 to Public Work Department, Construction Division-1, Muzaffarnagar as demanded, User Agency Deposited Rs.1546119.00 For compensatory afforestation in CAMPA Fund (Copy of Paid Challan enclosed) (Annexr -3)
4	The state Government shall charge the net present Value(NPV) for the 1.8970 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Honorable Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 In WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letter No. 5-1/1998-FC(Pt.II) dated 18/19/2003] as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User agency in this regard	As demand by Concern DFO vide his letter No .1096/14-1 dated 29.09.2022 to Public Work Department, Construction Division-1, Muzaffarnagar as demanded, User Agency Deposited to User Agency Deposited of Rs 1816909.00 For NPV in CAMPA Fund (Copy of Paid Challan enclosed) (Annexr -4)
5	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme court of India on receipt of the report from the Expert Committee. Shall be charged by the state Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking of this effect	Public Work Department, Construction Division-1, Muzaffarnagar Agreed that the Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, will be charged by the State Government from the User Agency, The User Agency will furnish an undertaking to this effect. (Annexr -5)

6	User agency shall restrict the felling of trees to 637 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the user Agency with the state forest department.	Public Work Department, Construction Division-1, Muzaffarnagar Agreed that the User agency will restrict the felling of trees to 637 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the user Agency with the state forest department. (Annexr -6)
7	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	The FRA, 2006 in prescribed certificate from the concerned District Collector, Annexed (Annexr -7)
8	No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided	No violation of FCA certificate, Annexed (Annexr -8)
9	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) at the cost of user agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Janu v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015.	Public Work Department, Construction Division-1, Muzaffarnagar Agreed that the Plantation will be raised on both sides of the road and median (if available) at the cost of user agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Janu v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015. (Annexr -9)
10	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	Public Work Department, Construction Division-1, Muzaffarnagar Agreed that the User agency Will make Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas. Annexr -10)
11	The user agency shall provide suitable under/over pass in protected area/forest area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	Public Work Department, Construction Division-1, Muzaffarnagar Agreed that the proposed road is out side the wild Life Sanctuary / Protected Area. (Annexr -11)
12	User agency shall obtain environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	Public Work Department, Construction Division-1, Muzaffarnagar Agreed that the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 is not applicable in this proposal. (Annexr -12)
13	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	Public Work Department, Construction Division-1, Muzaffarnagar Agreed that the The layout plan of the proposal will not be changed without prior approval of Central Government. (Annexr -13)
14	No labour camp shall be established on the forest land.	Public Work Department, Construction Division-1, Muzaffarnagar Agreed that the No labour camp will be established on the forest land.. (Annexr -14)
15	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the user agency to the labourer after purchasing the same from the State forest Department or the forest Development corporation or any other legal source of alternate fuel..	Public Work Department, Construction Division-1, Muzaffarnagar Agreed that Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, will be provided by the user agency to the labourer after purchasing the same from the State forest Department or the forest Development corporation or any other legal source of alternate fuel. (Annexr -15)
16	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Division Forest Officer.	Public Work Department, Construction Division-1, Muzaffarnagar Agreed that The boundary of the diverted forest land will be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Division Forest Officer. (Annexr -16)
17	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	Public Work Department, Construction Division-1, Muzaffarnagar Agreed that the No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work. (Annexr -17)
18	The period of diversion under this approval shall be co- terminus with period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	Public Work Department, Construction Division-1, Muzaffarnagar Agreed that the The period of diversion under this approval will be co- terminus with period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less. (Annexr -18)
19	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal	Public Work Department, Construction Division-1, Muzaffarnagar Agreed that the The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. (Annexr -19)
20	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department of person without prior approval of Govt. of India.	Public Work Department, Construction Division-1, Muzaffarnagar Agreed that the The forest land proposed to be diverted will be under no circumstances be transferred to any other agencies, department of person without prior approval of Govt. of India. (Annexr -20)
21	The KML file of the area to be diverted, the areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be unloaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works	Public Work Department, Construction Division-1, Muzaffarnagar Agreed that the The KML file of the area to be diverted, the areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be unloaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works (Annexr -21)
22	Revised boundary maps of Rajaji National Park shall be sent of FSI for updating in DSS.	Forest Department, Agreed that the Revised boundary maps of Rajaji National Park will be sent of FSI for updating in DSS. (Annexr -22)
23	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MOEF&CC Guideline F.NO. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	Public Work Department, Construction Division-1, Muzaffarnagar Agreed that the Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MOEF&CC Guideline F.NO. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018 (Annexr -23)

24	Any other condition that Ministry of Environment forest& climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest& wildlife.	Public Work Department, Construction Division-1, Muzaffarnagar Agreed that the Any other condition that Ministry of Environment forest& climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest& wildlife. (Annex-24)
25	All the funds received from the user agency under project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (http://parivesh.nic.in).	Agreed, As demand by Concern DFO vide his letter No 1096 /14-1 dated 29.09.2022 to Public Work Department, Construction Division-1, Muzaffarnagar Deposit of Rs.1546119.00 For compensatory afforestation and Rs 1816909.00 For NPV , total amount Rs. 3363028.00 in CAMPA Fund (Copy of Paid Challan enclosed) transferred/ deposited to CAMPA fund through e-portal (https://parivesh.nic.in/)
26	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	Public Work Department, Construction Division-1, Muzaffarnagar Agreed that the The compliance report uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)

CA amount as per Proposal (Shivalik Forest Division)	Rs.1546119.00
CA amount deposited	Rs .1546119.00
NPV	Rs .1816909.00
Total Amonut deposited	Rs. 3363028.00
CAMPA confirmation	Yes,(जमा (Paid)चालान की छाया प्रति संलग्न है।)

उपरोक्तानुसार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-8वी0/यू0 पी0/06/21/2022/एफ0सी0-523 दिनांक-21.09.2022 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त वचनबद्धताएँ (04 प्रतियों में) प्रतिहस्ताक्षरित कर आपकी सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विषयक प्रस्ताव में विधिवत् स्वीकृति हेतु वचनबद्धताओं को अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।
संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संख्या 2313/ 14-1 (FP/UP/ROAD/146591/2021)

दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1 लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर को उनके संदर्भित पत्र दिनांक 31.10.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग सहारनपुर को विषयक प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनीकरण स्थल शिवालिक वन प्रभाग में होने के फलस्वरूप एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक-21.09.2022 की शर्त संख्या-22 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-II, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roezllo-mefznic.in

पत्र सं०-8बी/यू.पी./06/21/2022/एफ.सी./523

दिनांक: 21.09.2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी,
वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ, उ०प्र०।

Online Proposal No. FP/UP/Road/146591/2021)

विषय: जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर-जानसठ-मीरापुर मार्ग (एस०एच०-12) के किमी० चैनेज 2.290 से किमी० 5.000 तक दोनों पटरी चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बंध में।

- सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक-955/11-सी-FP/UP/Road/146591/2021, लखनऊ, दिनांक-12.09.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक सं०-पी-27/81-2-2022-800(06)/2022, लखनऊ, दिनांक-04.02.2022 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर-जानसठ-मीरापुर मार्ग (एस०एच०-12) के किमी० चैनेज 2.290 से किमी० 5.000 तक दोनों पटरी चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 4 ha. degraded forest land in Budhavan Forest Block, Compartment No. 1A, Mohand Range, Shiwalik Forest Division Saharanpur at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
4. The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 1.8970 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.

[Handwritten signature]

Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.

User agency shall restrict the felling of trees to 637 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

7. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
8. No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.
9. Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015.
10. Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.
11. The user agency shall provide suitable under / over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW / NBWL / FAC / REC.
12. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
13. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
14. No labour camp shall be established on the forest land.
15. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
16. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
17. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
18. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
19. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
20. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
21. The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.

Revised boundary maps of Rajaji National Park shall be sent to FSI for updating in DSS.

23. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
24. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
25. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through (<https://parivesh.nic.in/>).
26. The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>)

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, by this office.

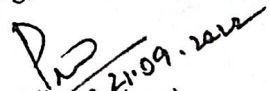
The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

भवदीया

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-

1. अति० मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर।
5. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।


(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0, मुजफ्फरनगर।

पत्रांक

2710

/ 1 सी

दिनांक 31/12/22

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।

विषय:-

जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर मार्ग (एस0एच-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 चैनेज 5.000 तक दोनों पटरी के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रांस प्लाट की अनुमति के अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:-

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road /146591/2021 के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक- 8बी0/यू0पी0/06/ 21/2022/एफ0सी0 /523 दिनांक-21.09.2022।

महोदय

विषयांकित भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में भारत सरकार के पत्रांक- ए0एल/यू0पी0/06/ 21/2022/एफ0सी0 /523 दिनांक-21.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के संबंध में आपके पत्रांक- 1096 /14-1 दिनांक-29.09.2022 के क्रम में वांछित शर्तवार अनुपालन आख्या 05 प्रतियों में संलग्न कर आपकी सेवा में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार
5-5 प्रतियों में।

प्रतिनिधि:- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(इं0 जितेन्द्र पाल सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या-1

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagar-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000 both Side) in Tehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

On Line Proposal No- FP/UP/Road /146591/2021

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road /146591/2021 के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ कापत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/21/2022/एफ0सी0 /523 दिनांक-21.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-1

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर मार्ग (एस0एच-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 चैनेज 5.000 तक दोनों पटरी के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रांस प्लाट की अनुमति के प्रस्ताव में प्रस्तावित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, प्रयोक्ता एजेन्सी / निर्माण खण्ड-1 लोक निर्माण विभाग, इस हेतु वचनबद्ध है।

(इ0 जितेन्द्र पाल सिंह)

अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1 लॉ0नि0वि0,

मुजफ्फरनगर

अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1, लॉ0नि0वि0

मुजफ्फरनगर

CUT

(कन्हैया पटेल)

प्रमाणाय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या-2

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagar-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000 both Side) in Tehsil & Distt. Muzaffarnagar. (UP)

On Line Proposal No- FP/UP/Road /146591/2021

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road /146591/2021 के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/21/2022/एफ0सी0 /523 दिनांक-21.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-2

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर मार्ग (एस0एच-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 चैनेज 5.000 तक दोनों पटरी के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रांस प्लाट की अनुमति के अनुमति के प्रस्ताव में शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर की मोहन्ड रेंज के बुढा वन ब्लॉक कम्पार्टमेन्ट संख्या 1 ए में 4.00 है0 अवनत वन भूमि पर विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत किया जायेगा। उक्त शर्त में उल्लिखित "As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided. " का अनुपालन वन विभाग द्वारा किया जायेगा।

(कन्हैया पटेल)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

मुजफ्फरनगर

(कन्हैया पटेल)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या-2ए

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagar-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000 both Side) in Tehsil & Distt. Muzaffarnagar. (UP)

On Line Proposal No- FP/UP/Road /146591/2021

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road /146591/2021 के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/21/2022/एफ0सी0 /523 दिनांक-21.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-2

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर मार्ग (एस0एच-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 चैनेज 5.000 तक दोनों पटरी के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रांस प्लाट की अनुमति के अनुमति के प्रस्ताव में शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर की मोहन्ड रेंज के बुढा वन ब्लाक कम्पार्टमेन्ट संख्या 1 ए में 4.00 है0 अवनत वन भूमि पर विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा एवं पौधों के रोपण एवं उनके 10 वर्ष तक रखरखाव हेतु / क्षतिपूरक वृक्षारोपण से संबंधित रूपये-15,46,119.00 की धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार कैम्पा निधि में जमा करायी जा चुकी है जिसकी पावती अनुपालन आख्या के साथ संलग्न है। निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कराया जायेगा।

(इ0 जितेन्द्र पाल सिंह)

अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0,

मुजफ्फरनगर

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0
मुजफ्फरनगर

1
(कन्हैया देवजी)
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या-3

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagar-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000 both Side) in Tehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

On Line Proposal No- FP/UP/Road /146591/2021

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road /146591/2021 के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/21/2022/एफ0सी0 /523 दिनांक-21.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-3

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर मार्ग (एस0एच-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 चैनेज 5.000 तक दोनों पटरी के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रांस प्लाट की अनुमति के अनुमति के प्रस्ताव में शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर की मोहनड रेंज के बुढ़ा वन ब्लॉक कम्पार्टमेन्ट संख्या 1 ए में 4.00 है0 अवनत वन भूमि पर विभिन्न प्रजाति के पौधों के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव, आगामी वर्षों में होने वाली सम्भावित दर वृद्धि को सम्मिलित करते हुए, संबंधित धनराशि रुपये-15,46,119.00ई-पोर्टल से उत्पन्न चालान के माध्यम से कैम्पा निधि में जमा किया जा चुका है, ई-चालान की रसीद की प्रति अनुपालन आख्या के साथ संलग्न है।

(ई0 जितेन्द्र पाल सिंह)

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0
मुजफ्फरनगर

(कन्हैया लाल सिंह)
प्रमाणीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE Paid (in Rs.)	Amount to be Paid/Amount	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/ROAD/146591/2021 (./viewreport.aspx?pid=FP/UP/ROAD/146591/2021) Proposal of 1,89,70 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagar-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2,290 to Km. Chainage 5,000 (South Side) in Theistal & Distt. Muzaffarnagar (UP)	ROAD14659120212856114659128561	21 Sep 2022	CA: 1546119/- Addl CA 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety 0/- Zone: 0/- NPV: 1816909/- Other Charges 0/- Charges1 0/- Other Charges2 0/- Charges3 0/- Total: 3363028/-	0/-	PAID	Demand Verified by 30 Sep 2022 Nodal Officer On Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS Challan Generated On: 30 Sep 2022 Transaction Date: 03 Oct 2022	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/290920221313203030_FPUPROAD1465912021_User_Fund_Demanded_66991.pdf) Generated Challan (./UserAccount/Nett_Challan.aspx?pid=ROAD1465912021285)

अधिकासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लोनिठि

(WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN/)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)

SWACHH BHARAT

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)

GOV (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

Meity (HTTP://MEITY.GOV.IN/)

india.gov.in

(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)

(HTTP://WWW.PMININDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (PrivacyPolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (AccessibilityStatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (Contact.aspx)

(कम्प्यूटर कलेस)

प्रमाणित निदेशक

समस्त कार्यवाही प्रमाणित

For any Technical support, Please Contact
EFCID, NIC, New Delhi, monitoring-
te(c)nic(dot)in

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 30-09-2022

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER PUBLIC WORK DEPARTMENT CONSTRUCTION DIVISION 1 MUZAFFARNAGAR
Application No.	61146591285
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/21/2022/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER CONSTRUCTION DIVISION 1 MUZAFFARNAGAR BHOPA ROAD MUZAFFARNAGAR Muzaffarnagar
Amount(In Rs)	3363028/-

Amount in Words :Thirty-Three Lakh Sixty-Three Thousand and Twenty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509061146591285 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 30-09-2022

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER PUBLIC WORK DEPARTMENT CONSTRUCTION DIVISION 1 MUZAFFARNAGAR
Application No.	61146591285
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/21/2022/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER CONSTRUCTION DIVISION 1 MUZAFFARNAGAR BHOPA ROAD MUZAFFARNAGAR Muzaffarnagar
Amount(In Rs)	3363028/-

Amount in Words :Thirty-Three Lakh Sixty-Three Thousand and Twenty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509061146591285 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लोन्निवि
मुजफ्फरनगर

41
1
(कम्प्लेक्स मॉडल)
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक यानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या-4

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagar-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000 both Side) in Tehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

On Line Proposal No- FP/UP/Road /146591/2021

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road /146591/2021 के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/21/2022/एफ0सी0 /523 दिनांक-21.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-4

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर मार्ग (एस0एच-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 चैनेज 5.000 तक दोनों पटरी के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रांस प्लाट की अनुमति के प्रस्ताव के सापेक्ष संरक्षित भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की वांछित धनराशि रूपये-18,16,909.00 (भारत सरकार के निर्देश दिनांक-06.01.2022 के अनुसार) को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार कैम्पा फण्ड में जमा करा दिया गया है। जिसकी ई-रसीद की प्रति अनुपालन आख्या के साथ संलग्न है।

(इं0 जितेन्द्र पाल सिंह)

अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0,

मुजफ्फरनगर

अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0.

मुजफ्फरनगर

(कन्हैया कुशवाहा)

प्रमाणित निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

मुजफ्फरनगर

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 30-09-2022

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER PUBLIC WORK DEPARTMENT CONSTRUCTION DIVISION 1 MUZAFFARNAGAR
Application No.	61146591285
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/21/2022/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER CONSTRUCTION DIVISION 1 MUZAFFARNAGAR BHOPA ROAD MUZAFFARNAGAR Muzaffarnagar
Amount(In Rs)	3363028/-

Amount In Words :Thirty-Three Lakh Sixty-Three Thousand and Twenty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509061146591285 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 30-09-2022

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER PUBLIC WORK DEPARTMENT CONSTRUCTION DIVISION 1 MUZAFFARNAGAR
Application No.	61146591285
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/21/2022/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER CONSTRUCTION DIVISION 1 MUZAFFARNAGAR BHOPA ROAD MUZAFFARNAGAR Muzaffarnagar
Amount(In Rs)	3363028/-

Amount In Words :Thirty-Three Lakh Sixty-Three Thousand and Twenty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509061146591285 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, If the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference Id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर

(कन्स्ट्रक्शन डिवीजन)
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक लैंगिक प्रभाग
मुजफ्फरनगर

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE Paid (in Rs.)	Amount to be Paid/Amount Paid	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FF/UP/ROAD/146591/2021 (View report.aspx?Id=FF/UP/ROAD/146591/2021) Proposal of 1.8770 Ha. (P.E. and) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagar-Jansath-Meergapur Road (SH-12) From Km. Chailaga 2.290 to Km. Chailaga 5.000 (South Side) in Therdal & Distt. Muzaffarnagar (UP)	ROAD14659120212856114659128521	PRINCIPLE Paid 21 Sep 2022	CA: 1546119/- Addl CA 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety Zone: 0/- Adl PA 0/- NPV: 181659/- Other Charges 0/- Other Charges 0/- Other Charges 0/- Other Charges 0/- Other Charges 0/- Total: 3363028/-	0 Paid	30 Sep 2022	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 30 Sep 2022	Demand Letter (Write read data/Fundpdf/28992022131203030) FFUPROAD1465912021 User Fund_Demanded_66691.Lpd Generated Chellan (User kcm and Net Chellan.aspx?Id=ROAD14659120212855)

मिथ्यासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, तौलीनिको

मिथ्यासी अभियन्ता
(HTTPS://DATA.GOV.IN/)

मिथ्यासी अभियन्ता
(WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

भारत (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)

my GOV (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

india.gov.in (HTTPS://INDIA.GOV.IN/)

(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/) (HTTP://WWW.NIC.IN/)

Meity (HTTP://MEITY.GOV.IN/)

For any Technical support Please Contact
ETCID, NIC, New Delhi monitoring-
te(at)nic(dot)in

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (PrivacyPolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (AccessibilityStatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

(कानूनन पुरस्कार)
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक मानकी प्रमाण
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या-5

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagar-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000 both Side) in Tehsil & Distt. Muzaffarnagar. (UP)

On Line Proposal No- FP/UP/Road /146591/2021

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road /146591/2021 के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/21/2022/एफ0सी0 /523 दिनांक-21.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-5

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर मार्ग (एस0एच-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 चैनेज 5.000 तक दोनों पटरी के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रांस प्लाट की अनुमति के प्रस्ताव के सापेक्ष यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की दरों में कोई संशोधन / पुनरीक्षण किया जाता है तो बड़ी हुई धनराशि जमा कराये जाने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी / हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 इस हेतु वचनबद्ध है।

(इ0 जितेन्द्र पाल सिंह)

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0
मुजफ्फरनगर

(कन्हैया प्रदीप)
प्रशासकीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या-6

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagar-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000 both Side) in Thehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

On Line Proposal No- FP/UP/Road /146591/2021

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road /146591/2021 के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/21/2022/एफ0सी0 /523 दिनांक-21.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-6

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर मार्ग (एस0एच-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 चैनेज 5.000 तक दोनों पटरी के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रांस प्लाट की अनुमति के प्रस्ताव में 637 वृक्षों अथवा उनकी संख्या के सापेक्ष कम से कम वृक्षों का पातन वन विभाग के निर्देशन में किया जायेगा एवं बाधक वृक्षों के पातन की लागत की धनराशि चाहे जाने पर उक्त धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जायेगी। इस हेतु लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड-1 बचनबद्ध है।

(कन्हैया फुडेल)
प्रमाणीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

(ई0 जितेन्द्र पाल सिंह)
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0
मुजफ्फरनगर
31/12/22

संलग्नक संख्या-7

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagar-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000 both Side) in Thehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

On Line Proposal No- FP/UP/Road /146591/2021

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road /146591/2021 के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/21/2022/एफ0सी0 /523 दिनांक-21.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-7

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर मार्ग (एस0एच-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 चैनेज 5.000 तक दोनों पटरी के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रांस प्लाट की अनुमति के अनुमति के प्रस्तावमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों) की मान्यता अधिनियम 2006 (FRA)के अन्तर्गत जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुक है। जिसकी प्रति संलग्न है।

(इं0 जितेन्द्र पाल सिंह)

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0
मुजफ्फरनगर

८५
(कन्हैया प्रदीप)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

7*4
Form-1

Plantations on non-forest land and notified as "protected forest" on or after 13th December 1930 and located in villages having no recorded Scheduled Tribe Population as per 2001 and 2011 census)

[Rule 6(3) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date]

Government of Uttar Pradesh

Office of District Collector

No. 2632/14-10/2021 Dated 31/12/2021

TO WHOMSOEVER IT, MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6(3) (e) of the Forest (conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014, Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014, and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that 1.8970 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Work Department (PWD) for Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagar-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000 both side in Tehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP) falls within the jurisdiction District Muzaffarnagar, village- Muzaffarnagar, Almaspur, Sahawali, and Bibipur (Muzaffarnagar-Jansath Road, Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000) tehsil Muzaffarnagar having no recorded population of Scheduled Tribes per Census of India 2001 and 2011. It is further certified that.

- a) The Protected Forest namely Panipat -Khatima Road involved in the above villages are plantation raised on non-forest land on or after 13th December 1930 and were notified as PF vide notification no 1115/14-331-50 dated -10.02.1960 .
- b) There fore, these PF neither have residing Scheduled Tribes nor have Other Traditional Forest Dwellers (residing in the PF for more than 75 years) having rights recognized under Forest Rights Act, 2006

(Suraj)
Divisional Director
Social Forestry Division
Muzaffarnagar

9.12.2021
District Social Welfare Officer
(Muzaffarnagar)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
मुजफ्फरनगर।

(Chandra Bhushan Singh)
District Collector
Muzaffarnagar

(चन्द्र भूषण सिंह)
जिलाधिकारी
मुजफ्फरनगर।

(कमलेश चन्द)

संलग्नक संख्या-8

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagar-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000 both Side) in Tehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

On Line Proposal No- FP/UP/Road /146591/2021

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road /146591/2021 के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/21/2022/एफ0सी0 /523 दिनांक-21.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-8

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर मार्ग (एस0एच-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 चैनेज 5.000 तक दोनों पटरी के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रांस प्लाट की अनुमति के प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या-9

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagar-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000 both Side) in Thehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

On Line Proposal No- FP/UP/Road /146591/2021

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road /146591/2021 के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/21/2022/एफ0सी0 /523 दिनांक-21.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-9

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर मार्ग (एस0एच-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 चैनेज 5.000 तक दोनों पटरी के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रांस प्लाट की अनुमति के अनुमति के प्रस्तावमें प्रस्तावित मार्ग के किनारे एवं मार्ग के मध्य में स्थान उपलब्ध होने की स्थिति में पौधा रोपण किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी बचनबद्ध है।

(कन्हैया पटेल)
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

(इ0 जितेन्द्र पाज सिंह)
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या-10

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagar-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000 both Side) in Thehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

On Line Proposal No- FP/UP/Road /146591/2021

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road /146591/2021 के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/21/2022/एफ0सी0 /523 दिनांक-21.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-10

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर मार्ग (एस0एच-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 चैनेज 5.000 तक दोनों पटरी के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रांस प्लाट की अनुमति के प्रस्तावमें प्रस्तावित मार्ग के किनारे स्पीड रेगुलेशन चिन्ह मार्ग के घुमावदार स्थलों के किनारे लगाये जायेंगे इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी बचनबद्ध है।

(इ0 जितेन्द्र पाल सिंह)

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0
मुजफ्फरनगर

(कन्हैया पटेल)
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या-11

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagar-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000 both Side) in Tehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

On Line Proposal No- FP/UP/Road /146591/2021

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road /146591/2021 के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/21/2022/एफ0सी0 /523 दिनांक-21.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-11

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर मार्ग (एस0एच-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 चैनेज 5.000 तक दोनों पटरी के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रांस प्लाट की अनुमति के अनुमति के प्रस्तावमें वन्य जीव विहार/संरक्षित क्षेत्र(प्रोटेक्टेड एरिया) का प्रयोग निहित नहीं है।

(इं0 जितेन्द्र पाल सिंह)

अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर।

अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0

मुजफ्फरनगर

(कन्हैया पक्की)
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या-12

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagar-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000 both Side) in Tehsil & Distt. Muzaffarnagar. (UP)

On Line Proposal No- FP/UP/Road /146591/2021

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road /146591/2021 के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/21/2022/एफ0सी0 /523 दिनांक-21.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-12

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर मार्ग (एस0एच-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 चैनेज 5.000 तक दोनों पटरी के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रांस प्लाट की अनुमति के अनुमति के प्रस्तावमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधान लागू नहीं होते हैं।

(इ0 जितेन्द्र पाल सिंह)

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर

अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0

मुजफ्फरनगर

11/09/2022
(कन्हैया पटेल)
प्रमार्गीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या-13

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagar-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000 both Side) in Tehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

On Line Proposal No- FP/UP/Road /146591/2021

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road /146591/2021 के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/21/2022/एफ0सी0 /523 दिनांक-21.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-13

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर मार्ग (एस0एच-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 चैनेज 5.000 तक दोनों पटरी के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रांस प्लाट की अनुमति के प्रस्तावमें बिना केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति ले आउट प्लान परिवर्तित नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्ध है।

115
1
(कन्हैया पटेल)
प्रशासकीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

(इ0 जितेन्द्र पाल सिंह)
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0
मुजफ्फरनगर
31/12/22

संलग्नक संख्या-14

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagar-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000 both Side) in Tehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

On Line Proposal No- FP/UP/Road /146591/2021

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road /146591/2021 के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/21/2022/एफ0सी0 /523 दिनांक-21.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-14

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर मार्ग (एस0एच-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 चैनेज 5.000 तक दोनों पटरी के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रांस प्लाट की अनुमति के प्रस्तावमें प्रस्तावित मार्ग के किनारे लेबर कैम्प नहीं लगाये जायेगे, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्ध है।

(इं0 जितेन्द्र फल सिंह)
अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0
मुजफ्फरनगर

(कन्हैया पटेल)
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या-15
Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagar-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000 both Side) in Tehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

On Line Proposal No- FP/UP/Road /146591/2021

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road /146591/2021 के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/21/2022/एफ0सी0 /523 दिनांक-21.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-15

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर मार्ग (एस0एच-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 चैनेज 5.000 तक दोनों पटरी के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रांस प्लाट की अनुमति के अनुमति के प्रस्तावमेंश्रमिकों के प्रयोग हेतु अल्टरनेट फ्यूल का क्रय वन विभाग अथवा वन निगम या वैधानिक स्रोत से नियमानुसार किया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्ध है।

17
(कन्हैया पटेल) 22/9/22
प्रमाणित निदेशक
सांख्यिक अभिकरण प्रभाग
मुजफ्फरनगर

(इं0 जितेन्द्र पाल सिंह)
अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर।
अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0 31/11/22
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या-16

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagar-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000 both Side) in Thehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

On Line Proposal No- FP/UP/Road /146591/2021

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road /146591/2021 के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/21/2022/एफ0सी0 /523 दिनांक-21.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-16

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर मार्ग (एस0एच-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 चैनेज 5.000 तक दोनों पटरी के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रांस प्लाट की अनुमति के अनुमति के प्रस्तावमें संबंधी हस्तान्तरित होने वाली भूमिका मौके पर डिमाकेशन प्रभागीय वनाधिकारी/वन विभाग के निर्देशन में कराया जायेगा।

31/9/22
(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक कल्याण प्रभाग
मुजफ्फरनगर

(इ0-जितेन्द्र पाल सिंह)
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0
मुजफ्फरनगर
31/9/22

संलग्नक संख्या-17

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagar-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000 both Side) in Tehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

On Line Proposal No- FP/UP/Road /146591/2021

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road /146591/2021 के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/21/2022/एफ0सी0 /523 दिनांक-21.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-17

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर मार्ग (एस0एच-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 चैनेज 5.000 तक दोनों पटरी के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रांस प्लाट की अनुमति के अनुमति के प्रस्तावमें परियोजना स्थल के किनारे अथवा प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त वन क्षेत्र का प्रयोग निर्माण सामग्री के आवागमन मार्ग हेतु नहीं किया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है।

७५
1
(कन्हैया पटेल)
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर
31/12/23

(इं0 जितेन्द्र माल सिंह)
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0
मुजफ्फरनगर
31/12/24

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagar-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000 both Side) in Tehsil & Distt. Muzaffarnagar. (UP)

संलग्नक संख्या-18

On Line Proposal No- FP/UP/Road /146591/2021

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road /146591/2021 के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/21/2022/एफ0सी0 /523 दिनांक-21.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-18

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर मार्ग (एस0एच-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 चैनेज 5.000 तक दोनों पटरी के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रांस प्लाट की अनुमति के अनुमति के प्रस्तावमें परियोजना अवधि या लीज अवधि जो भी कम हो उस अवधि तक ही आलोच्य भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकार में बनी रहेगी । इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी जाती है।

(इं0 जितेन्द्र पाल सिंह)
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0
मुजफ्फरनगर

(कन्हैया पटेल)
प्रशासकीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या-19

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagar-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000 both Side) in Tehsil & Distt. Muzaffarnagar. (UP)

On Line Proposal No- FP/UP/Road /146591/2021

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road /146591/2021 के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/21/2022/एफ0सी0 /523 दिनांक-21.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-19

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर मार्ग (एस0एच-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 चैनेज 5.000 तक दोनों पटरी के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रांस प्लाट की अनुमति के अनुमति के प्रस्तावमें संरक्षित वन भूमि का प्रयोग किसी अन्य परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है।

८५
1
(कन्हैया पटेल)
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

(इ0 जितेन्द्र पाल सिंह)
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0
मुजफ्फरनगर
31/11/22

संलग्नक संख्या-20

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagar-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000 both Side) in Tehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

On Line Proposal No- FP/UP/Road /146591/2021

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road /146591/2021 के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/21/2022/एफ0सी0 /523 दिनांक-21.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-20

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर मार्ग (एस0एच-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 चैनेज 5.000 तक दोनों पटरी के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रांस प्लाट की अनुमति के अनुमति के प्रस्तावमें प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि का केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति बिना हस्तान्तरण किसी भी दशा में किसी अन्य एजेन्सी को नहीं किया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है।

(इं0 जितेन्द्र माल सिंह)

अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर

अधिशायी अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0

मुजफ्फरनगर

(कन्हैया पटेल)

प्रमाणित निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या-21

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagar-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000 both Side) in Thehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

On Line Proposal No- FP/UP/Road /146591/2021

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road /146591/2021 के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/21/2022/एफ0सी0 /523 दिनांक-21.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-21

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर मार्ग (एस0एच-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 चैनेज 5.000 तक दोनों पटरी के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रांस प्लाट की अनुमति के प्रस्ताव से संबंधित वन क्षेत्र, क्षतिपूरक वनीकरण क्षेत्र की के0एम0एल0, कार्यपूर्ण होने से पूर्व नियमानुसार ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

(इ0 जितेन्द्र प्रसाद सिंह)

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0
मुजफ्फरनगर

(कन्हैया चटेल)
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या-22

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagar-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000 both Side) in Thehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

On Line Proposal No- FP/UP/Road /146591/2021

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road /146591/2021 के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/21/2022/एफ0सी0 /523 दिनांक-21.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-22

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर मार्ग (एस0एच-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 चैनेज 5.000 तक दोनों पटरी के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रांस प्लाट की अनुमति के प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनीकरण से सम्बन्धित क्षेत्र (शिवालिक वन प्रभाग की मोहन्ड रेज के बुढा वन ब्लॉक कम्पार्टमेन्ट 1ए) के सम्बन्ध में राजा जी नेशनल पार्क से सम्बन्धित संशोधित मैप को नियमानुसार फोरेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया को डी0एस0एस0 पर अपडेट करने हेतु प्रेषित किया जायेगा।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर
(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या-23

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagar-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000 both Side) in Tehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

On Line Proposal No- FP/UP/Road /146591/2021

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road /146591/2021 के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/21/2022/एफ0सी0 /523 दिनांक-21.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-23

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर मार्ग (एस0एच-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 चैनेज 5.000 तक दोनों पटरी के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रांस प्लाट की अनुमति के अनुमति के प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघन की दशा में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की गाईड लाईन एफ.एन.ओ.-11-42 /2017 -एफसी दिनांक 29.01.2018 के प्रतिबन्ध स्वीकार है इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है।

(इ0 जितेन्द्र पाव सिंह)
अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर।

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0
मुजफ्फरनगर

117
(कन्हैया पटेल)
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

31/8/22

संलग्नक संख्या-24

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagar-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000 both Side) in Thehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

On Line Proposal No- FP/UP/Road /146591/2021

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road /146591/2021 के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/21/2022/एफ0सी0 /523 दिनांक-21.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-24

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर मार्ग (एस0एच-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 चैनेज 5.000 तक दोनों पटरी के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रांस प्लाट की अनुमति के अनुमति के प्रस्ताव के क्रम में वचनबद्धता दी जाती है कि यदि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, उ0प्र0 शासन एवं वन विभाग द्वारा भविष्य में समय-समय पर यदि वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण एवं विकास हेतु/ अन्य कोई शर्त लगायी जाती है, तो लगाई गयी नई शर्तों का अनुपालन करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी वचनबद्धता दी जाती है।

115
(कन्हैया पटेल)
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

(इ0 जितेन्द्र पाल सिंह)
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0.
मुजफ्फरनगर।
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0 31/1X/22
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या-25

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagar-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000 both Side) in Thehsil & Distt. Muzaffarnagar. (UP)

On Line Proposal No- FP/UP/Road /146591/2021

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road /146591/2021 के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/21/2022/एफ0सी0 /523 दिनांक-21.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-25

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर मार्ग (एस0एच-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 चैनेज 5.000 तक दोनों पटरी के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रांस प्लाट की अनुमति के अनुमति के प्रस्ताव के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रुपये-15,46,119.00 एवं एन0पी0वी0 की धनराशि रुपये-18,16,909.00 कुल योग- रुपये 33,63,028.00 (रुपये तैतीस लाख तिरसठ हजार अठ्ठाईस मात्र) परिवेश पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा निधि में जमा करा दी गयी है। जिससे संबंधित ई-रसीद की प्रति अनुपालन आख्या के साथ संलग्न है।

(इ0 जितेन्द्र माल सिंह)

अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर

अधिशायी अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0

मुजफ्फरनगर

31/8/22

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर मार्ग (एस0एच-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 चैनेज 5.000 तक दोनों पटरी के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रांस प्लाट की अनुमति के अनुमति के प्रस्ताव के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रुपये-15,46,119.00 एवं एन0पी0वी0 की धनराशि रुपये-18,16,909.00 कुल योग- रुपये 33,63,028.00 (रुपये तैतीस लाख तिरसठ हजार अठ्ठाईस मात्र) परिवेश पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा निधि में जमा करा दी गयी है। जिससे संबंधित ई-रसीद की प्रति अनुपालन आख्या के साथ संलग्न है।

संलग्नक संख्या-26

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagar-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000 both Side) in Thehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

On Line Proposal No- FP/UP/Road /146591/2021

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road /146591/2021 के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/21/2022/एफ0सी0/523 दिनांक-21.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-26

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर मार्ग (एस0एच-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 चैनेज 5.000 तक दोनों पटरी के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रांस प्लाट की अनुमति के अनुमति के प्रस्तावमें वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक-21.09.2022 की अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है।

(इं0 जितेन्द्र पाल सिंह)

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर।

अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0

मुजफ्फरनगर

31/X/22

(कन्हैया पटेल)
प्रमोद निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर